न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 61 / 2017
प्रविष्टि दिनांक 26.05.2017

मांगी पुत्री रामकुवार जाति खाती निवासी बोसरिया तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
–अपीलान्ट

बनाम

1–बाबू पुत्र रामकुंवार जाति खाती निवासी बोसरिया तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
2–रमेश पुत्र रामकुंवार जाति खाती निवासी बोसरिया तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
3–तहसीलदार उनियारा जिला टोंक राज0
–रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 21 दिनांक 24.05.1989 वाके ग्राम बोसरिया तहसीलदार उनियारा

उपस्थिति –(1) श्री सेतराम चौधरी, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री गजेन्द्र शर्मा,अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2

निर्णय **दिनांक 01.08.2022**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 24.05.1989 को मृतक खातेदार रामकुंवार पुत्र जगन्नाथ जाति खाती निवासी बोसरिया तहसील उनियारा की विरासत का नामान्तरकरण सं0 21 प्रशासन गॉवों के संग अभियान 1989 में तस्दीक किया गया था,जिसमें मृतक रामकुंवार की पुत्री मांगी (अपीलांट) का नाम अंकित नही करते हुए तस्दीक कर दिया जो विधि विधान एंव तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिए नोटिस की गई। विवादित नामान्तरकरण की मूल प्रति मंगवाई गई तथा प्रकरण में अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने अपनी बहस समे अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या–3 ने [illegible] व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के पिता रामकुंवार की मृत्यु हो जाने पर उनके द्वारा छोड़ी गई कृषि भूमि का विरासत का नामांतकरण संख्या 21 दिनांक 24.05.1989 से तस्दीक किया गया है। नामांतकरण को तस्दीक करने से पूर्व हल्का पटवारी, गिरदावर व तत्कालीन तहसीलदार ने मृतक रामकुंवार के वारिसान की सही जांच नहीं की तथा बिना जांच किये ही रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 तथा अपीलांट की मां के पक्ष में नामांतकरण तस्दीक किया गया। अपीलांट मृतक रामकुंवार की जाईन्दा पुत्री है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस है। रेस्पोडेण्ट संख्या–3 द्वारा अपीलांट की सुनवाई बिना ही उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:32:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

नामान्तकरण तस्दीक किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विरूद्ध है। अपीलांट खसरा नम्बर 21 रकबा 0.80 है0 व खसरा नम्बर 59 रकबा 0.28 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.08 है0 वाके ग्राम बोसरीयां पर वर्तमान मे 1/3 हिस्से पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रही है, क्योंकि पक्षकारों की माँ गुलाब की दिनांक 14.06.2007 को मृत्यु हो चुकी है। अतः नामान्तकरण को अपीलांट के नाम की हद तक निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने जवाबी बहस में अपीलांट के कथन पर सहमति प्रदान कर अपीलांट के नाम की हद तक आपत्ति नहीं है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नामान्तरकरण संख्या 21 दिनांक 24.05.1989 वाके ग्राम बोसरिया तहसील उनियारा प्रशासन गाँवों के संग अभियान 1989 में आयोजित केम्प बोसरिया में रामकुंवार पि. जगन्नाथ कोम खाती सा. देह खातेदार की मृत्यु होने से विरासत का नामान्तरकरण रामकुंवार के वारिसान गुलाब बेवा रामकुंवार एंव बाबू रमेश पुत्र रामकुंवार कोम खाती सा. देह खातेदार के नाम स्वीकार किया गया है।

अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि अपीलांट मृतक रामकुंवार की जाईन्दा पुत्री है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस है। अपीलांट के कथन पर अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने भी सहमति प्रदान की है। उपरोक्त विवेचन से तहसीलदार उनियारा द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 21 दिनांक 24.05.1989 वाके ग्राम बोसरिया तहसील उनियारा अपीलांट के नाम की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार उनियारा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि पक्षकारों की विधिवत सुनवाई कर,दस्तावेजात की जांच कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर,टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:32:02 IST
Reason: SelfAttested